

**प्रेस नोट**

**दिनांक 24.09.2024**

**'आपरेशन क्लीन' अभियान के तहत थाना को० मनकापुर पुलिस द्वारा 04 अदद लावारिस मोटरसाईकिलों व 01 अदद पिकअप की नीलामी कराकर 2,43,316/- रूपयों का राजस्व प्राप्त किया गया-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत लावारिस वाहनों के निस्तारण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मनकापुर पुलिस द्वारा 04 अदद लावारिस मोटरसाईकिलों व 01 अदद पिकअप की नीलामी कराकर 2,43,316/- रूपयों का राजस्व प्राप्त किया गया।

दिनांक 23.09.2024 को थाना मनकापुर पुलिस द्वारा स्थानीय प्रांगण में नायब तहसीलदार मनकापुर श्री अनु सिंह व कमेटी के सदस्यों की मौजूदगी में 04 अदद लावारिस मोटरसाईकिलों-01. सुपर स्प्लेंडर, 02. होण्डा स्टेनर, 03. बजाज डिस्कवर, 04. हीरो होण्डा स्प्लेंडर प्लस व 01 अदद मु०अ०सं०-311/2022 धारा 5क उ०प्र० गोवध निवारण अधि०, 11 पशु कूरता अधि० व 207 एमवी एक्ट में दाखिल 01 अदद पिकअप की बोली लगाकर नीलामी प्रक्रिया सुनिश्चित की गयी। नीलामी प्रक्रिया से कुल 2,43,316/- रूपयों का राजस्व प्राप्त किया गया।

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

## प्रेस नोट

दिनांक 24.09.2024, थाना नवाबगंज

जनपद गोण्डा ।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गलत कृत्य का अश्लील वीडियो बनाने वाला अभियुक्त को किया गया

गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-196/2024 धारा 376(2)N, 120बी, 509 भादवि व 3(2)v SC/ST एक्ट, व 67 आईटी एक्ट थाना नवाबगंज से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त हनुमान पुत्र ननकऊ निवासी – धुसवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज गोण्डा को ग्राम बालापुर रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.06.2024 को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत पीडिता द्वारा थाना नवाबगंज पर सूचना दी कि विपक्षी द्वारा शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ गलत कृत्य किया गया व गलत कृत्य करते समय का वीडियो दूसरे विपक्षी द्वारा बना लेना और वीडियो वायरल करने की धमकी देना, वादिनी ने जब शादी करने का दबाव बनाया तब विपक्षी ने वादिनी को जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हुए गाली देते हुए शादी करने से मना कर देना व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में है । वादिनी की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-196/2024 धारा 376,120B,509,504,506 भा0द0वि0, व 3(2)(v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया था, विवेचना श्रीमान क्षेत्राधिकारी तरबगंज महोदय द्वारा की जा रही है, हुकुम तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्त हनुमान पुत्र ननकऊ निवासीगण – धुसवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज गोण्डा को बालापुर रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. हनुमान पुत्र ननकऊ निवासीगण – धुसवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज गोण्डा

सम्बन्धित अभियोग-

01. मु0अ0सं0 196/2024 धारा 376 (2) N, 120बी, 509 भादवि व 3(2) v SC/ST एक्ट, व 67 आईटी एक्ट थाना नवाबगंज गोण्डा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

प्रशिक्षु उ0नि0 राजीव कनौजिया

हे0का0 अनिल कुमार ,

कां0 अखिलेश यादव

**प्रेस नोट**  
**दिनांक 24.09.2024, थाना नवाबगंज**  
**जनपद गोण्डा।**

**थाना नवाबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत शादी का झांसा देकर पीडिता के साथ दुराचार करने व उसका अश्लील वीडियो बनाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-**

**कार्यवाही-**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-196/2024, धारा 376(2)/N, 509, 504, 506 भादवि व 3(2)5 एस0सी0 एस0टी0 एक्ट व 67 आईटी एक्ट से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त हनुमान पुत्र ननकऊ निवासी धुसवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज गोण्डा को ग्राम बालपुर रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

वादिनी द्वारा थाना नवाबगंज पर सूचना दिया कि विपक्षी द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार किया गया है। तथा उसका अश्लील वीडियो बनाकर धमकी देता है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0सं0- 196/2024, धारा 376(2)/N, 509, 504, 506 भादवि व 3(2)5 एस0सी0 एस0टी0 एक्ट व 67 आईटी एक्ट बनाम अभियुक्त 01. अशोक यादव व 02. हनुमान के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। पूर्व में मुख्य आरोपी अभियुक्त अशोक यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आज दिनांक 24.09.2024 को थाना नवाबगंज की पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त हनुमान पुत्र ननकऊ निवासी धुसवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज गोण्डा को थाना नवाबगंज पुलिस के द्वारा बालपुर रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

01. हनुमान पुत्र ननकऊ निवासी धुसवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज गोण्डा

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0- 196/2024, धारा 376(2)/N, 509, 504, 506 भादवि व 3(2)5 एस0सी0 एस0टी0 एक्ट व 67 आईटी एक्ट थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. उ0नि0 राजीव कनौजिया

02. हे0का0 अनिल कुमार ,

03. कां0 अखिलेश यादव

**मीडिया सेल, गोण्डा**

**प्रेस नोट**  
**दिनांक 24.09.2024, मानिट्रिंग सेल**  
**जनपद गोणडा।**

**‘ऑपरेशन कन्विकशन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 22,000/- अर्थदण्ड की सजा-**

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

वादिनी द्वारा दिनांक 13.09.2019 को थाना इटियाथोक को सूचना दिया कि विपक्षी द्वारा उनके साथ जबरदस्ती दुराचार किया है। जिसके सम्बन्ध में थाना इटियाथोक पर मु0अ0सं0- 265/2019, धारा 376, 452, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 जितेन्द्र यादव द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 13.01.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

**दोषसिद्धि का विवरण-**

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोणडा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री सुर्य प्रकाश सिंह द्वारा थाना इटियाथोक पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री हर्षवर्धन पाण्डेय, कोर्ट मोहर्रि म0का0 सुषमा यादव व थाना इटियाथोक के पैरोकार का0 शैलेन्द्र की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक- 24.09.2024 को दोषी अभियुक्त – सहजराम पुत्र रामदयाल निवासी लक्ष्मणपुर लालनगर थाना इटियाथोक, जनपद गोणडा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 22,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**अभियुक्त का नाम पता-**

01. सहजराम पुत्र रामदयाल निवासी लक्ष्मणपुर लालनगर थाना इटियाथोक, जनपद गोणडा।

**अभियोग का विवरण-**

01. मु0अ0सं0- 265/2019, धारा 376, 452, 506 भादवि थाना इटियाथोक, जनपद गोणडा.

**मीडिया सेल, गोणडा।**

## प्रेस नोट

दिनांक 24.09.2024, थाना कोतवाली देहात

जनपद गोण्डा।

### थाना को0देहात क्षेत्रान्तर्गत सरकारी कार्य में बाधां डालने व मारपीट करने के आरोपी

#### अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 439/24 धारा 191(2), 352, 351(3), 121(1) बीएनएस, 07 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त 01. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र रामनिहोर निवासी ग्राम ठकुरापुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को बालपुर पुलिसिया के बगल चाय की दुकान से गिरफ्तार कर लिया गया।

#### घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23/24.09.2024 की देर रात्रि में हे0का0 संजीत कुमार सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0देहात पर सूचना दिये कि ठकुरापुर गाँव के खेत में पानी लगाने को लेकर गोसाईं लोगो के मध्य मारपीट की घटना हुई थी। जिसमें दोनों पक्षों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें का0 संजय कुमार के साथ मय राइफल के शान्ति सुरक्षा व्यवस्था डियूटी पर गये थे। इसी दौरान सुरेश गोस्वामी अपने 8-10 साथियों के साथ मोटरसाइकिल से लाठी डण्डा, फरसा आदि लेकर आये मजरूब/पीडित के घर में घुसकर मार-पीट करने लगे। हम पुलिस द्वारा बीच बचाव किया गया तो हम पुलिस वालों को गाली गुप्ता व जान मारने की धमकी देते हुए कार्य सरकार को बाधित किया गया। उक्त सूचना पर थाना को0देहात पर मु0अ0स0 439/24 धारा 191(2), 352, 351(3), 121(1) बीएनएस, 07 सीएलए एक्ट बनाम सुरेश गोस्वामी आदि के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया है। आज दिनांक 24.09.2024 को नामजद अभियुक्त 01. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र रामनिहोर निवासी ग्राम ठकुरापुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को बालपुर पुलिसिया के बगल चाय की दुकान से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

#### गिरफ्तार अभियुक्त-

01. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र रामनिहोर निवासी ग्राम ठकुरापुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

#### पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 439/24 धारा 191(2), 352, 351(3), 121(1) बीएनएस, 07 सीएलए एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

#### गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 गजेन्द्र पाण्डेय
02. हे0क0 संजीत सिंह
03. का0 संजय कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

**प्रेस नोट**  
**दिनांक 24.09.2024, मानिट्रिंग सेल**  
**जनपद गोण्डा।**

**‘ऑपरेशन कन्विकशन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 22,000/- अर्थदण्ड की सजा-**

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

वादिनी द्वारा दिनांक 15.04.2020 को थाना कर्नलगंज को सूचना दी कि विपक्षी द्वारा उनके साथ जबरदस्ती दुराचार किया है। जिसके सम्बन्ध में थाना कर्नलगंज पर मु0अ0सं0- 132/2020, धारा 376, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 प्रदीप कुमार गंगवार द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 11.07.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

**दोषसिद्धि का विवरण-**

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री सुर्य प्रकाश सिंह द्वारा थाना कर्नलगंज पुलिस, मानिट्रिंग सेल, अभियोजक श्री हर्षवर्धन पाण्डेय, कोर्ट मोहरीर म0का0 सुषमा यादव व थाना कर्नलगंज के पैरोकार हे0का0 दीनबन्धु दूबे की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक- 24.09.2024 को दोषी अभियुक्त – वीरेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम नकार खुशलीपुरवा थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 22,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**अभियुक्त का नाम पता-**

01. वीरेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम नकार खुशलीपुरवा थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

**अभियोग का विवरण-**

01. मु0अ0सं0- 132/2020, धारा 376, 506 भादवि थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।

**मीडिया सेल, गोण्डा।**